Disclaimer

The Institute of Chartered Accountants of India has given the right of translation of the study material in Hindi to third parties and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original study material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer the English version.

अस्वीकरण

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार तीसरे पक्ष को दिया है और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालाँकि मूल अध्ययन विषय-वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है। यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

पत्र -3: उन्नत लेखा परीक्षा एवं व्यावसायिक नैतिकता

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है शेष में से किन्हीं **चार** के उत्तर दीजिए

प्रश्न 1

(क) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मेसर्स कुमार एंड कंपनी को वितीय वर्ष 2020-21 के लिए पीसी लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। लेखा परीक्षा के दौरान, भागीदारों में से एक सीए कुमार ने इकाई की इन्वेंट्री की चोरी के रूप में संपति के दुरुपयोग का पता लगाया जिसे कर्मचारियों द्वारा अपेक्षाकृत छोटे और अभौतिक परिमाण में किया जा रहा था। सीए कुमार संपति की हैराफेरी की आशंका को बढ़ाने वाली कुछ परिस्थितियों के मौजूद होने से चिंतित हैं।

लेखा परीक्षा पर प्रासंगिक मानक के संदर्भ में संपति के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण से संबंधित जोखिम कारकों के संबंध में सीए कुमार का मार्गदर्शन करें। (5 अंक)

(ख) टेक लिमिटेड की लेखा परीक्षा के दौरान आपने देखा कि लेखांकन डेटा के प्रसंस्करण का काम किसी तीसरे पक्ष को दिया गया था जिसके पीछे लागत में कमी, पूरी क्षमता से काम करने वाले अपने कंप्यूटर जैसे कुछ कारण थे। टेक लिमिटेड ने लेन-देन को रिकॉर्ड करने और संबंधित डेटा को संसाधित करने के लिए एक सर्विस संगठन का उपयोग किया। यह निर्धारित करने के लिए कि वे गतिविधियाँ लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं या नहीं और यदि हैं, तो लेखा परीक्षा जोखिम पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए, एक लेखा परीक्षक के रूप में, सर्विस संगठन द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति और सीमा के बारे में आपका क्या विचार होगा।

लेखा परीक्षा पर प्रासंगिक मानक के संदर्भ में चर्चा करें।

(5 अंक

(ग) सीए मधु वितीय वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्मी लिमिटेड के सांविधिक लेखा परीक्षक हैं। श्रीमान प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ₹75 लाख के ऋण और अग्रिम के संबंध में कंपनी ने सीए मधु को कोई समझौता नहीं सौंपा है और इसके अभाव में, वह पुनर्भुगतान की शर्तों, ब्याज की प्रभार्यता और अन्य शर्तों को सत्यापित करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में सीए मधु को जो राय देनी चाहिए, उसका औचित्य सिद्ध करें। साथ ही, एक उपयुक्त ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ का मसौदा तैयार करें। (4 अंक)

उत्तर

(क) एसए 240 के अनुसार संपत्ति के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले गलत विवरणों से संबंधित जोखिम कारकों के संबंध में सीए कुमार के लिए मार्गदर्शन इस प्रकार है: एसए 240, "वित्तीय विवरणों के ऑडिट में धोखाधड़ी से संबंधित लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां" के अनुसार, संपत्ति के दुरुपयोग में इकाई की संपत्ति की चोरी शामिल है और अक्सर कर्मचारियों द्वारा अपेक्षाकृत छोटी और अभौतिक मात्रा में किया जाता है। हालांकि,

इसमें प्रबंधन भी शामिल हो सकता है जो आमतौर पर उन तरीकों से दुरुपयोग को छिपाने में अधिक सक्षम होते हैं जिनका पता लगाना म्श्किल होता है।

भौतिक संपत्ति या बौद्धिक संपदा की चोरी सिहत संपित का दुरुपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है (उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत उपयोग या बिक्री के लिए इन्वेंट्री चोरी करना, पुनर्विक्रय के लिए स्क्रैप चोरी करना, पैसे के लिए किसी प्रतिस्पर्धी के साथ मिलकर तकनीकी डेटा का खुलासा करना)।

संपत्ति के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले गलत विवरणों से संबंधित जोखिम कारक भी धोखाधड़ी के मौजूद होने पर आम तौर पर विद्यमान तीन स्थितियों के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं: प्रोत्साहन/दबाव, अवसर, और मनोभाव/तर्कसंगतता।

प्रोत्साहन/दबाव

व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व प्रबंधन या उन कर्मचारियों पर संपत्तियों का दुरुपयोग करने के लिए दबाव बना सकते हैं जिनकी पहुँच नकदी या चोरी के लिए अतिसंवेदनशील अन्य संपत्तियों तक है।

नकद या चोरी की आशंका वाली अन्य संपत्तियों तक पहुंच वाले कर्मचारियों और इकाई के बीच प्रतिकूल संबंध उन कर्मचारियों को उन परिसंपत्तियों का दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित स्थितियों में प्रतिकूल संबंध बनाए जा सकते हैं:

- (i) भविष्य में कर्मचारी की ज्ञात या प्रत्याशित छंटनी।
- (ii) कर्मचारी मुआवजे या लाभ योजनाओं में हाल ही में ह्आ या प्रत्याशित परिवर्तन।
- (iii) उम्मीदों के अन्रूप प्रचार, म्आवजा या अन्य प्रस्कार।

अवसर

कुछ विशेषताओं या परिस्थितियों से संपत्ति के दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित होने पर संपत्ति के दुरुपयोग के अवसर बढ़ जाते हैं:

- (i) बड़ी मात्रा में नकदी हाथ में या संसाधित होने पर।
- (ii) इन्वेंट्री आइटम जो आकार में छोटे हैं, उच्च मूल्य के हैं, या उच्च मांग में हैं।
- (iii) आसानी से परिवर्तनीय संपति, जैसे कि वाहक बांड, हीरे या कंप्यूटर चिप्स।
- (iv) अचल संपत्तियां जो आकार में छोटी हैं, विपणन योग्य हैं, या स्वामित्व की अवलोकन योग्य पहचान की कमी है।

परिसंपत्तियों पर अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उन परिसंपत्तियों के दुरुपयोग की आशंका को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, संपत्ति का दुरुपयोग हो सकता है क्योंकि निम्नलिखित है:

- (i) कर्तव्यों का अपर्याप्त पृथक्करण या स्वतंत्र जाँच।
- (ii) यात्रा और अन्य प्रतिपूर्ति जैसे वरिष्ठ प्रबंधन व्यय की अपर्याप्त निगरानी।
- (iii) संपत्ति के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की अपर्याप्त प्रबंधन निगरानी, उदाहरण के लिए, दूरस्थ स्थानों की अपर्याप्त पर्यवेक्षण या निगरानी।
- (iv) संपत्ति तक पह्ंच रखने वाले कर्मचारियों की नौकरी आवेदन की अपर्याप्त स्क्रीनिंग।

(पेपर - 3: उन्नत लेखा परीक्षा और व्यावसायिक नैतिकता)

- (v) संपत्ति के संबंध में अपर्याप्त रिकॉर्ड रखना।
- (vi) लेन-देन के प्राधिकरण और अन्मोदन की अपर्याप्त प्रणाली (उदाहरण के लिए, खरीद में)।
- (vii) नकदी, निवेश, इन्वेंट्री या अचल संपत्तियों पर अपर्याप्त भौतिक स्रक्षा उपाय।
- (viii) परिसंपत्तियों के पूर्ण और समय पर स्लह का अभाव।
- (ix) लेन-देन के समय पर और उचित दस्तावेजीकरण का अभाव, उदाहरण के लिए, व्यापारिक रिटर्न के लिए क्रेडिट।
- (x) प्रम्ख नियंत्रण कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश का अभाव।
- (xi) प्रबंधन के पास सूचना प्रौद्योगिकी की अपर्याप्त समझ, जो सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारियों को दुरुपयोग करने में सक्षम बनाती है।
- (xii) कंप्यूटर सिस्टम इवेंट लॉग पर नियंत्रण और समीक्षा सिहत स्वचालित रिकॉर्ड तक अपर्याप्त पहुंच नियंत्रण।

मनोभाव/तर्कसंगतता

- (i) परिसंपत्तियों के दुरुपयोग से संबंधित जोखिमों की निगरानी या उन्हें कम करने की आवश्यकता की उपेक्षा करना।
- (ii) मौजूदा नियंत्रणों की अनदेखी करके या आंतरिक नियंत्रण में ज्ञात कमियों पर उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने में विफल होने पर संपत्ति के दुरुपयोग पर आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना।
- (iii) इकाई के प्रति नाराजगी या असंतोष का संकेत देने वाला व्यवहार या कर्मचारी के प्रति उसका व्यवहार।
- (iv) व्यवहार या जीवन शैली में परिवर्तन जो यह संकेत दे सकते हैं कि संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है।
- (v)छोटी चोरियों को लेकर सहनशीलता।
- (ख) एसए 402 "एक सेवा संगठन का उपयोग करने वाली इकाई से संबंधित ऑडिट विचार" के अनुसार, जब एसए 315 के अनुसार उपयोगकर्ता इकाई की समझ प्राप्त करते हैं, तो उपयोगकर्ता ऑडिटर को यह समझ प्राप्त होगी कि उपयोगकर्ता इकाई अपने संचालन में सेवा संगठन की सेवाओं का उपयोग कैसे करती है, जिसमें शामिल हैं:
 - (i) सेवा संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति और उपयोगकर्ता इकाई के लिए उन सेवाओं का महत्व, जिसमें उपयोगकर्ता इकाई के आंतरिक नियंत्रण पर उनका प्रभाव शामिल है:
 - (ii) संसाधित लेन-देन या सेवा संगठन द्वारा प्रभावित खातों या वितीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की प्रकृति और भौतिकता;
 - (iii) सेवा संगठन और उपयोगकर्ता इकाई की गतिविधियों के बीच मेलजोल का स्तर; तथा
 - (iv) सेवा संगठन द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए प्रासंगिक संविदात्मक शर्तीं सहित, उपयोगकर्ता इकाई और सेवा संगठन के बीच संबंधों की प्रकृति।

"उपरोक्त के आधार पर, लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा जोखिम पर प्रभाव का आकलन करेगा और लेखा परीक्षा करते समय आवश्यक कदम उठाएगा"।

(ग) वर्तमान मामले में श्रीमान प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ₹75 लाख के ऋण और अग्रिम के संबंध में, कंपनी ने सीए मधु को कोई समझौता नहीं सौंपा है। इस तरह के किसी समझौते की अनुपस्थिति में, सीए मधु पुनर्भुगतान की शतों, ब्याज की प्रभार्यता और अन्य शतों को सत्यापित करने में असमर्थ है। एक लेखा परीक्षक के लिए, किसी भी ऋण और अग्रिम की पुष्टि करते समय, सबसे महत्वपूर्ण ऑडिट साक्ष्य में से एक ऋण समझौता होता है। इसलिए, वर्तमान मामले में इस तरह के दस्तावेज की अनुपस्थिति, कंपनी के वितीय विवरणों में एक महत्वपूर्ण भौतिक गलत विवरण के समान है। हालांकि, इस तरह के ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीए मधु की अक्षमता भौतिक है, लेकिन व्यापक नहीं है कि उन्हें राय का अस्वीकरण देने की आवश्यकता हो।

इस प्रकार, वर्तमान मामले में, सीए मध् को एक योग्य राय देनी चाहिए।

योग्य राय पैराग्राफ और योग्य राय पैराग्राफ के आधार का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार है:

योग्य राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के लिए आधार अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, 31.03.2021 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ / हानि के रूप में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, लक्ष्मी लिमिटेड के वितीय विवरण एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

योग्य राय का आधार

कंपनी श्रीमान प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ₹75 लाख के ऋण और अग्रिम के संबंध में ऋण समझौता प्रस्तुत करने में असमर्थ है। नतीजतन, इस तरह के समझौते की अनुपस्थिति में, हम पुनर्भुगतान की शर्तों, ब्याज की प्रभार्यता और अन्य शर्तों को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।

प्रश्न 2

- (क) फॉर्च्यून लिमिटेड की लेखा परीक्षा के दौरान, सीए प्रसाद आंतरिक नियंत्रण की गुणवता और प्रभावशीलता की जांच से संबंधित हैं। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह नियंत्रण वातावरण का आकलन और मूल्यांकन करना चाहते हैं। नियंत्रण के मूल्यांकन और आकलन में मानक संचालन प्रक्रियाओं के अच्छी तरह से परिभाषित सेट के साथ सीए प्रसाद का मार्गदर्शन करें।
- (ख) श्री खन्ना को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए आरएसटी लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आरएसटी लिमिटेड के वितीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के अनुपालन में तैयार किए जाने हैं। मुख्य वितीय अधिकारी का विचार है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन II के तहत निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताएं पूर्ण हैं और टिप्पणियों में या अतिरिक्त विवरणों के माध्यम

(पेपर - 3: उन्नत लेखा परीक्षा और व्यावसायिक नैतिकता)

से कोई अन्य अतिरिक्त प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। इसके वितीय विवरण को तैयार करते समय आरएसटी लिमिटेड द्वारा विचार किए जाने वाले सामान्य निर्देशों पर सलाह दें। (5 अंक) (ग) एक कंपनी के कैशियर ने धोखाधड़ी की और उससे प्राप्त लाभ के साथ फरार हो गया। कंपनी के मुख्य लेखाकार को भी यह नहीं पता था कि धोखाधड़ी कब हुई। लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षक धोखाधड़ी का पता लगाने में विफल रहा। हालांकि, ऑडिट पूरा होने के बाद, मुख्य लेखाकार द्वारा धोखाधड़ी का पता चला था। उस समय की गई जांच से पता चलता है कि लेखा परीक्षक ने उचित कौशल और देखभाल का प्रयोग नहीं किया और अपने काम को अपमानजनक और बेतरतीब ढंग से किया। इस पृष्ठभूमि के साथ, कंपनी के निदेशक लेखा परीक्षक के खिलाफ अन्शासनात्मक कार्यवाही दर्ज करने का इरादा रखते हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और उसकी अनुसूचियों के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए।

(4 अंक)

उत्तर

(क) मानक संचालन प्रक्रिया के स्परिभाषित सेट के साथ सीए प्रसाद का मार्गदर्शन नीचे दिया गया हे:

- मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी): एसओपी का एक अच्छी तरह से परिभाषित सेट (i) भूमिका, जिम्मेदारियों, प्रक्रिया और नियंत्रण को परिभाषित करने में मदद करता है और इस प्रकार एक प्रक्रिया के सभी स्पर्श बिंद्ओं पर परिचालन नियंत्रण को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने में मदद करता है। कर्मचारी टर्नओवर के दौरान भी नियंत्रणों को स्पष्ट रूप से समझने और लगातार लागू होने की संभावना है।
- उद्यम जोखिम प्रबंधन: एक संगठन जिसके पास पूरे उद्यम में जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने की मजबूत प्रक्रिया है और इसकी आवधिक समीक्षा अंतरालों की शीघ्र पहचान करने और प्रभावी नियंत्रण उपाय करने में सहायता करेगी। ऐसे संगठनों में, नियंत्रण में अचानक विफलताओं के होने की संभावना कम होती है।
- (iii) काम की जिम्मेदारियों का पृथक्करण: नियंत्रण का एक प्रमुख तत्व यह है कि लेन-देन/निर्णय में कई गतिविधियां एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। कर्तव्यों का पृथक्करण नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण तत्व है जैसे कि एक ही व्यक्ति द्वारा दो व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। एक खरीदार को सामग्री प्राप्त करने या बिलों को पारित करने में शामिल नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार बैंक स्लह को बैंक ब्क रखने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाना चाहिए
- (iv) संवेदनशील क्षेत्रों में काम का रोटेशन: एक ही व्यक्ति द्वारा लंबे समय तक किसी एक ही काम को करते रहने से संवेदनशील क्षेत्रों में आत्मतुष्टि और संभावित दुरुपयोग होने की संभावना रहती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख व्यावसायिक कार्यों में, नियंत्रणों में चूक से बचने के लिए नियमित रूप से जॉब रोटेशन का पालन किया जाता है। उदाहरण

- के लिए, यदि एक ही खरीदार लंबी अविध तक खरीद करता रहता है, तो संभावना है कि वह मौजूदा विक्रेताओं के साथ आराम की मुद्रा में आ जाता है और इसलिए विक्रेता के साथ कामकाज, प्रतिस्पर्धी उद्धरण आदि के संदर्भ में पर्याप्त नियंत्रण का प्रयोग नहीं करता है।
- (v) वितीय शक्तियों का प्रत्यायोजन दस्तावेज़: जैसे-जैसे संगठन बढ़ता है, उसे अपने कर्मचारियों को वितीय और अन्य शक्तियां सौंपने की आवश्यकता होती है। शक्तियों के प्रत्यायोजन पर स्पष्ट रूप से परिभाषित दस्तावेज़ व्यक्तियों पर निर्भर हुए बिना नियंत्रणों को स्पष्ट रूप से संचालित करने की अनुमति देता है।
- (vi) सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नियंत्रण: कंप्यूटर और उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणालियों के अभ्युदय के साथ, मानव पर निर्भर होने के बजाय सिस्टम के माध्यम से नियंत्रण को जोड़ना बहुत आसान है। आईटी सम्बद्ध नियंत्रणों की विफलता दर कम होने की संभावना रहती है, जिससे लेखा परीक्षा का प्रभाव बेहतर होने की संभावना होती है और इस प्रकार निगरानी करना आसान है। उदाहरण के लिए, ग्राहक चालान-प्रक्रिया के स्तर पर, चालानों में सही दरों को लागू करना या क्रेडिट नियंत्रण सभी को सीधे आईटी प्रणाली के माध्यम से नियंत्रण वातावरण में सुधार के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार करने के सामान्य निर्देश:

- प्रत्येक कंपनी जिस पर भारतीय लेखा मानक लागू होते हैं, अपने वितीय विवरण को इस अनुसूची के अनुसार या ऐसे संशोधन के साथ तैयार करेगी जो कुछ परिस्थितियों में आवश्यक हो सकते हैं।
- उन्हां भारतीय लेखा मानकों सिहत अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुपालन में (संबंधित इंड एएस द्वारा प्रदान की गई तरलता के क्रम में संपित और देनदारियों को प्रस्तुत करने के विकल्प को छोड़कर) जैसा कि कंपनियों पर लागू होता है, उपाय या प्रकटीकरण में बदलाव, संशोधन स्थानापन्न, शीर्ष या उप-शीर्ष में प्रतिस्थापन या विलोपन या वित्तीय विवरण या विवरणों में परस्पर कोई परिवर्तन, सिहत किसी भी बदलाव की आवश्यकता होती है, वहां वैसा किया जाएगा और इस अनुसूची के तहत आवश्यकताओं को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।
- 3. इस अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताएं भारतीय लेखा मानकों में निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं, न िक उनके प्रतिस्थापन में हैं। भारतीय लेखा मानकों में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रकटीकरण को टिप्पणियों में या अतिरिक्त विवरण या विवरणों के माध्यम से किया जाएगा जब तक िक वितीय विवरणों में इसे सामने से प्रकट करने की आवश्यकता न हो। इसी प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित अन्य सभी प्रकटीकरण इस अनुसूची में निर्धारित आवश्यकताओं के अतिरिक्त टिप्पणियों में किए जाएंगे।

PAPER – 3 : ADVANCED AUDITING AND PROFESSIONAL ETHICS (पेपर - 3: उन्नत लेखा परीक्षा और व्यावसायिक नैतिकता)

- (i) नोट्स में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत जानकारी के अतिरिक्त जानकारी होगी और जहां आवश्यक हो, वहां वह प्रदान करेगी-
 - (ए) उन विवरणों में मान्यता प्राप्त वस्त्ओं का वर्णनात्मक विवरण या असहमति; तथा
 - (बी) उन वस्त्ओं के बारे में जानकारी जो उन विवरणों में मान्यता के योग्य नहीं हैं।
 - (ii) बैलेंस शीट में प्रत्येक मद, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लाभ-हानि का विवरण, नोटों में किसी भी संबंधित जानकारी के प्रति-संदर्भित किया जाएगा। नोट्स सहित वितीय विवरण तैयार करने में, अत्यधिक विवरण प्रदान करने के बीच एक संतुलन बनाए रखा जाएगा जो वितीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की सहायता नहीं कर सकता है और बहुत अधिक एकत्रीकरण के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं कर सकता है।
- 5. निगमन के बाद कंपनी के सामने रखे गए पहले वितीय विवरणों के मामले को छोड़कर, वितीय विवरण में टिप्पणी सिहत दिखाए गए सभी मदों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अविध के लिए संबंधित राशियां (त्लनात्मक) शामिल होंगी।
- 6. वितीय विवरण उन सभी 'भौतिक' मदों का खुलासा करेंगे, जिनका खुलासा वे कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं जो उपयोगकर्ता वितीय विवरणों के आधार पर करते हैं। भौतिकता वस्तु के आकार या प्रकृति या दोनों के संयोजन पर निर्भर करती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में आंका जाता है।
- 7. जहां किसी अधिनियम या विनियम के लिए किसी कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में विशिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, उक्त प्रकटीकरण इस अनुसूची के तहत आवश्यक प्रकटीकरण के अतिरिक्त किया जाएगा।
- (ग) दिए गए मामले में, लेखा परीक्षा के दौरान, ऑडिटर धोखाधड़ी का पता लगाने में विफल रहा। यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जांच से संकेत मिलता है कि लेखा परीक्षक ने उचित कौशल और देखभाल का प्रयोग नहीं किया और अपना काम अनियमित और गैर-विधिवत तरीके से किया।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग । के खंड (7) के अनुसार, एक प्रैक्टिसरत चार्टर्ड एकाउंटेंट को पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाता है यदि वह "उचित मूल्यांकन नहीं करता है या अपने पेशेवर कर्तव्य के पालन में घोर लापरवाही करता है"। एसए 240, "वितीय विवरणों की लेखा परीक्षा में धोखाधड़ी से संबंधित लेखा परीक्षक की

जिम्मेदारियां" के अनुसार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लेखा परीक्षक ने पेशेवर संदेह के रवैये के साथ ऑडिट की योजना नहीं बनाई और न ही उसे निष्पादित किया। इस प्रकार, इस बात को ध्यान में रखते हुए और वर्ष के दौरान वास्तव में एक धोखाधड़ी हुई है, जिसे फरार कैशियर ने अंजाम दिया है, यह सोचना उचित है कि प्रथम दृष्टया ऑडिटर के खिलाफ घोर लापरवाही का मामला बनता है।

मामले में दिए गए तथ्यों से और क्लॉज (7) और एसए 240 को लागू करने से, यह स्पष्ट है कि लेखा परीक्षक पेशेवर कदाचार का दोषी है और निदेशक उसके खिलाफ अनुशासनात्मक

कार्यवाही दर्ज कर सकते हैं।

प्रश्न 3

- (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखा परीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद और विभिन्न राज्य विधानसभाओं में उचित विचार के लिए प्रस्तुत की जाती है। सी एंड एजी द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की सामग्री की गणना करें। (5 अंक)
- (ख) आपको कॉइन बैंक लिमिटेड की एक शाखा के समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह शाखा मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में काम कर रही है। समवर्ती लेखा परीक्षा करते समय इस शाखा के विदेशी मुद्रा लेन-देन की जांच करने के लिए आपके द्वारा कवर की जाने वाली लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का उल्लेख करें।

 (5 अंक)
- (ग) सीए मेहता को सेवानिवृत्त हो रहे लेखा परीक्षक सीए गुप्ता के स्थान पर वर्ष 2020-21 के लिए सीएस लिमिटेड का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। सीए मेहता ने प्रबंधन से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद नियुक्ति स्वीकार कर ली कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 140 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और उसकी अनुसूचियों के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए।

(4 अंक)

उत्तर

- (क) उचित रूप से विचार के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखा परीक्षा पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को कई भागों में संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- (i) सरकारी कंपनियों, डीम्ड सरकारी कंपनियों और निगमों के कामकाजी परिणामों की सामान्य समीक्षा के साथ परिचय;
- (ii) लेखा परीक्षा बोर्ड दवारा आयोजित चयनित उपक्रमों के व्यापक मूल्यांकन के परिणाम;
- (iii) सी एंड एजी द्वारा जारी निर्देशों और सरकारी कंपनियों के खातों पर टिप्पणियों के तहत उनके द्वारा प्रस्त्त कंपनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को फिर से श्रूक करना; और
- (iv) लेखा परीक्षा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के लिए नहीं लिए गए उपक्रमों की लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम।
 कुछ निर्दिष्ट राज्यों के लिए, सी एंड एजी विधायिका को एक अलग ऑडिट रिपोर्ट (वाणिज्यिक) प्रस्तुत करता है, जबिक अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका के लिए, मुख्य ऑडिट रिपोर्ट में एक वाणिज्यिक अध्याय होता है। राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट में चयनित कंपनियों/निगमों के प्रदर्शन के लेखा परीक्षा मूल्यांकन के परिणाम के साथ-साथ वित्तीय अनियमितताओं के महत्वपूर्ण व्यक्तिगत उदाहरण, व्यर्थ के व्यय, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा देखी गई प्रणाली की कमियां, और सरकारी कंपनियों और निगमों के कामकाजी परिणामों की सामान्य समीक्षा दोनों शामिल हैं।
- (ख) कॉइन बैंक लिमिटेड की एक शाखा के विदेशी मुद्रा लेन-देन की जांच करने के लिए समवर्ती

लेखा परीक्षक द्वारा कवर की जाने वाली सुझाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया नीचे दी गई है:

- साख पत्रों के अधीन तय विदेशी बिलों की जांच करना।
- एफसीएनआर और अन्य अनिवासी खातों की जांच करना कि क्या डेबिट और क्रेडिट नियमों के तहत स्वीकार्य हैं।
- जाँच करना कि क्या आवक/जावक विप्रेषण का उचित लेखा-जोखा किया गया है।
- विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री के लिए वायदा अनुबंधों के विस्तार और रद्दीकरण की जांच करना। सुनिश्चित करना कि वे विधिवत अधिकृत हैं और आवश्यक शुल्क वसूल कर लिए गए हैं।
- सुनिश्चित करना कि विभिन्न विदेशी मुद्राओं में नोस्ट्रो खातों में शेष राशि बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।
- सुनिश्चित करना कि विदेशी मुद्रा पिरचालनों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न मुद्राओं में रखी गई अधिक खरीद/अधिक बिक्री की स्थिति उचित है।
- डीलिंग रूम के संचालन के बारे में बैंक के आरबीआई/एचओ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन स्निश्चित करना।
- नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते के लेन-देन/शेष राशि का सत्यापन/समाधान सुनिश्चित करना।

(ग) दिए गए मामले में, सीए मेहता ने प्रबंधन से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे लेखा परीक्षक के स्थान पर नियुक्ति स्वीकार की कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 140 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग । के खंड (9) में प्रावधान है कि एक प्रैक्टिसरत सदस्य को पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाएगा यदि वह किसी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति को पहले यह सुनिश्चित किए बिना स्वीकार करता है कि क्या ऐसी नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 140 की आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया गया है।

इस क्लॉज के तहत आने वाले लेखा परीक्षक के लिए कंपनी से यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनकी नियुक्ति के मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है ताकि कोई भी शेयरधारक या सेवानिवृत ऑडिटर बाद की तारीख में ऐसी नियुक्ति की वैधता को चुनौती न दे सके।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग । के खंड (9) के तहत, आने वाले लेखा परीक्षक को यह पता लगाना होगा कि कंपनी ने उपरोक्त अनुभागों के प्रावधानों का अनुपालन किया है या नहीं। "सुनिश्चित करना" शब्द का अर्थ है "निश्चित रूप से पता लगाना"। इसका मतलब यह होगा कि आने वाले लेखा परीक्षक को निश्चित रूप से पता लगाना चाहिए कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 140 के प्रावधानों का अनुपालन किया है या नहीं। इस संबंध में, आने वाले लेखा परीक्षक के लिए केवल कंपनी

के प्रबंधन से प्रमाण पत्र स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं होगा कि उपरोक्त अन्भागों के प्रावधानों का अन्पालन किया गया है। आने वाले लेखा परीक्षक के लिए कंपनी के प्रासंगिक रिकॉर्ड को सत्यापित करना और यह स्निश्चित करना आवश्यक है कि क्या कंपनी ने वास्तव में उपरोक्त अन्भागों के प्रावधानों का अन्पालन किया है या नहीं। यदि कंपनी आने वाले लेखा परीक्षक को इस बात की जांच करने की अन्मित नहीं देना चाहता है कि उपरोक्त अन्भागों का अन्पालन किया गया है या नहीं, तो आने वाले अंकेक्षक को लेखा परीक्षा कार्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

उपरोक्त खंड को दिए गए मामले में लागू करते हुए, कंपनी आने वाले लेखा परीक्षक को प्रासंगिक रिकॉर्ड सत्यापित करने की अन्मित देने के लिए तैयार नहीं है ताकि वह यह स्निश्चित कर सके कि क्या उपरोक्त अन्भागों के प्रावधानों का अन्पालन किया गया है, इसलिए आने वाले लेखा परीक्षक, सीए मेहता को ऑडिट कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी ओर, सीए मेहता ने प्रबंधन से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक के स्थान पर निय्क्ति स्वीकार कर ली जो पर्याप्त नहीं है और इसलिए सीए मेहता को पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाता है।

प्रश्न 4

(क) एम एंड बी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹1 करोड़ है, इसके पास एक सहायक, इन्वेस्टर्स फंड मैनेजमेंट लिमिटेड है। एम एंड बी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का प्रमुख व्यवसाय सामृहिक आधार पर निवेशकों से पैसा जमा करना और विभिन्न कोषों में इसे निवेश करना है। इस कंपनी ने कई ग्राहकों से ₹10 करोड़ जमा किए, जो कंपनी के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एम एंड बी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के खातों की लेखा परीक्षा करते समय सीए एक्स ने देखा कि कुल ₹10 करोड़ की सम्पूर्ण राशि विभिन्न कंपनियों के शेयरों और डिबेंचर में निवेश की गई है और इन शेयरों की कीमतों के अभिमूल्यन के कारण अर्जित लाभ को कंपनी के विभिन शेयरधारकों में वितरित किया गया है।

अब, सीए एक्स ने एम एंड बी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा करते समय एक मृद्दा उठाया कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार समेकित वितीय विवरण आवश्यक हैं?

उपरोक्त मृद्दे का विश्लेषण करें और अपनी राय दें।

(ख) एसीटी सिल्क इंडस्ट्रीज एक अग्रणी सूचीबद्ध टेक्सटाइल मैन्य्फैक्चरिंग कंपनी है। साक्ष्य संग्रह और विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी मुखौटा कंपनियों को भुगतान के द्वारा धन की हेराफेरी में शामिल है। इसलिए, सेबी ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स बी एंड एस एसोसिएट्स, को कंपनी के फोरेंसिक ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया।

फोरेंसिक ऑडिट प्रक्रिया में बी एंड एस एसोसिएट्स दवारा उठाए जाने वाले कदमों का संक्षेप में वर्णन करें।

PAPER – 3 : ADVANCED AUDITING AND PROFESSIONAL ETHICS (पेपर - 3: उन्नत लेखा परीक्षा और व्यावसायिक नैतिकता)

(5 अंक)

(ग) एबीसी लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। कंपनी ऋण व अग्रिम तथा सरकार या स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए शेयरों / स्टॉक / बांड / डिबेंचर / प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के कारोबार में लगी हुई है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वितीय विवरणों के कुछ अंश निम्नलिखित हैं:

(i) प्रदत्त शेयर पूंजी	₹40.53 <i>करोड़</i>
(ii) गैर-वर्तमान परिसंपतियां- ऋण और अग्रिम	₹55.90 <i>करोड़</i>
(iii) चालू परिसंपत्तियां- ऋण और अग्रिम	₹344.47 <i>करोड़</i>
(iv) कंपनी की कुल परिसंपतियां	₹530 <i>करोड़</i>
(v) अमूर्त संपत्तियां	₹ 3 करोड़
(vi) वर्ष के लिए लाभ	₹7.25 <i>करोड़</i>
(vii) ब्याज और लाभांश से आय	₹52 <i>करोड़</i>
(viii) सकल आय	₹102.57 <i>करोड़</i>

निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 45-आईए के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं। सलाह दें। (4 अंक)

उत्तर

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार, जहां किसी कंपनी की सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम सिहत एक या अधिक सहायक कंपनियां हैं, वह अपने स्वयं के वित्तीय विवरणों के अलावा कंपनी और उसकी सभी सहायक कंपनियों के एक समेकित वित्तीय विवरण को उसी रूप में और उसी तरीके से तैयार करेगी, जैसे कि वह अपना करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उप-धारा 6 के अनुसार, केंद्र सरकार, स्वयं या कंपनियों के एक वर्ग या वर्ग के अनुप्रयोग पर, अधिसूचना द्वारा, किसी भी वर्ग या वर्ग की कंपनियों को धारा 129 या उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं में से किसी भी अनुपालन से छूट दे सकती है।।

एक निवेश इकाई वह इकाई है जो:

- (ए) उन निवेशकों को निवेश प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक या अधिक निवेशकों से धन प्राप्त करता है;
- (बी) अपने निवेशक (निवेशकों) को प्रतिबद्ध करता है कि इसका व्यावसायिक उद्देश्य केवल पूंजी वृद्धि, निवेश आय, या दोनों से रिटर्न के लिए धन का निवेश करना है; और
- (सी) उचित मूल्य के आधार पर अपने सभी निवेशों के प्रदर्शन को मापता है और मूल्यांकन करता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अपनी सभी सहायक कंपनियों को मापने के लिए, एक निवेश इकाई को भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद 31 के अनुसार, यदि

आवश्यक हो तो समेकित वितीय विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। मूल कंपनी यह निर्धारित करेगी कि क्या यह एक निवेश इकाई है।

हालांकि, इंड एएस 110 के पैराग्राफ 33 के अनुसार, एक निवेश इकाई की मूल कंपनी सभी संस्थाओं को समेकित करेगी, जिन्हें वह नियंत्रित करती है, जिसमें सहायक कंपनी के माध्यम से नियंत्रित एक निवेश इकाई भी शामिल होती है, जब तक कि मूल कंपनी स्वयं एक निवेश इकाई न हो।

उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा करने वाले एम एंड बी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के दिए गए मामले में उपरोक्त को लागू करना, यह एक निवेश इकाई है। इंड एएस 110 के पैरा 31 और 33 को लागू करके, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एम एंड बी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार समेकित करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रत्येक फोरेंसिक लेखा कार्य अद्वितीय है। तदनुसार, अपनाया गया वास्तविक दृष्टिकोण और निष्पादित प्रक्रियाएं इसके लिए विशिष्ट होंगी। कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिटर के रूप में बी एंड एस एसोसिएट्स द्वारा उठाए जाने वाले कदम हैं:

चरण 1. आरंभीकरण

कार्य के वास्तिविक मकसद, उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में सभी संदेहों को स्पष्ट करना और दूर करना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्यों, पक्षों और मुद्दों की समझ प्राप्त करने के लिए ग्राहक से मिलना मददगार होता है। जैसे ही संबंधित पक्ष स्थापित होते हैं, टकराव की जांच की जानी चाहिए। विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ाने से पहले प्रारंभिक जांच करना अक्सर उपयोगी होता है। यह आगे की योजना को मुद्दों की अधिक संपूर्ण समझ पर आधारित होने में सक्षम करेगा।

चरण 2. योजना विकसित करना

यह योजना ग्राहक से मिलने और प्रारंभिक जांच करने से प्राप्त ज्ञान को ध्यान में रखेगी और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और उन्हें पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धित को निर्धारित करेगी।

चरण 3. प्रासंगिक साक्ष्य प्राप्त करना

मामले की प्रकृति के आधार पर, इसमें दस्तावेज़, आर्थिक जानकारी, परिसंपत्तियां, एक व्यक्ति या कंपनी, एक अन्य विशेषज्ञ या किसी घटना के घटित होने का प्रमाण शामिल हो सकता है। विस्तृत साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, अन्वेषक को विशिष्ट प्रकार की धोखाधड़ी, और वह कैसे की गई है, इसको समझना चाहिए। ये साक्ष्य अंततः धोखेबाजों की पहचान, धोखाधड़ी योजना के तंत्र और वितीय नुकसान की राशि को साबित करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि जांच दल साक्ष्य एकत्र करने में कुशल हो जिसका उपयोग अदालत के मामले में निर्धारित समय अविध के भीतर किया जा सकता है, और अदालत में साक्ष्य पेश होने तक हिरासत की एक स्पष्ट शृंखला बनाए रखने में कुशल हो। यदि कोई साक्ष्य अनिर्णायक है या हिरासत की शृंखला में अंतराल हैं, तो साक्ष्य को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, या यहां

(पेपर - 3: उन्नत लेखा परीक्षा और व्यावसायिक नैतिकता)

तक कि वह अस्वीकार्य भी हो सकता है। जांचकर्ताओं को संदिग्धों द्वारा जाली, क्षतिग्रस्त या नष्ट किए जा रहे दस्तावेजों के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

चरण 4. विश्लेषण करना

किया गया वास्तविक विश्लेषण कार्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा और इसमें शामिल हो सकते

- आर्थिक न्कसान की गणना;
- बड़ी संख्या में लेन-देन का सारांश;
- संपत्तियों का पता लगाना;
- उचित छूट दरों का उपयोग करते हुए वर्तमान मूल्य की गणना करना;
- प्रतिगमन या संवेदनशीलता विश्लेषण करना;
- एक कम्प्यूटरीकृत अन्प्रयोग जैसे स्प्रेड शीट, डेटा बेस या कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करना;
- विश्लेषण को समझाने के लिए चार्ट और ग्राफिक्स का उपयोग करना।

चरण 5. रिपोर्टिंग

ऑडिट रिपोर्ट जारी करना धोखाधड़ी ऑडिट का अंतिम चरण है। लेखा परीक्षक कपटपूर्ण गतिविधि, यदि कोई पाई गई है, का विवरण देने वाली जानकारी शामिल करेंगे। ग्राहक जांच के निष्कर्षों वाली एक रिपोर्ट की अपेक्षा करेगा, जिसमें साक्ष्य का सारांश, धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई हानि की मात्रा के बारे में निष्कर्ष और धोखाधड़ी में शामिल लोगों की पहचान करना शामिल है। रिपोर्ट में कार्य की प्रकृति, जांच का दायरा, उपयोग किए गए दृष्टिकोण, दायरे की सीमाएं और निष्कर्ष और/या राय पर अन्भाग शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में निष्कर्षों का ठीक से समर्थन और व्याख्या करने के लिए आवश्यक शेड्यूल और ग्राफिक्स शामिल होंगे।

रिपोर्ट में यह भी चर्चा होगी कि धोखेबाज ने धोखाधड़ी की योजना को कैसे बनाया, और किस नियंत्रण, यदि कोई हो, को दरकिनार कर दिया गया। यह भी संभावना है कि जांच दल भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए संगठन के भीतर नियंत्रण में स्धार की सिफारिश करेगा।

फोरेंसिक लेखा परीक्षक के पास स्नने का सक्रिय कौशल होना चाहिए जो उसे रिपोर्ट में तथ्यों को संक्षेप में प्रस्त्त करने में सक्षम बनाएगा। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि रिपोर्ट प्रक्रिया के दौरान आत्मसात किए गए तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति की राय पर।

चरण 6. न्यायालय की कार्यवाही

जांच से संदिग्ध के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होने की संभावना है, और जांच दल के सदस्य संभवत: किसी भी परिणामी अदालती मामले में शामिल होंगे। जांच के दौरान एकत्र किए गए सब्तों को अदालत में पेश करने की आवश्यकता होगी, और टीम के सदस्यों को अदालत में

बुलाया जा सकता है ताकि वे इकट्ठा किए गए सबूतों का वर्णन कर सकें और यह बता सकें कि संदिग्ध की पहचान कैसे हुई।

- (सी) किसी विशेष कंपनी को गैर-बैंकिंग वितीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पहचानने के लिए, यह कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित बैलेंस शीट से सबूत के रूप में संपत्ति और आय पैटर्न दोनों पर विचार करेगी ताकि इसके प्रमुख व्यवसाय का फैसला किया जा सके। कंपनी को एनबीएफसी के रूप में माना जाएगा जब किसी कंपनी की
 - (i) वितीय आस्तियां कुल आस्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक हैं (अमूर्त आस्तियों द्वारा निवल की गई) और
 - (ii) वितीय परिसंपितयों से होने वाली आय सकल आय के 50 प्रतिशत से अधिक है। एक कंपनी जो इन दोनों मानदंडों को पूरा करती है, एक एनबीएफसी के रूप में योग्य होगी और उसे आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी। एबीसी लिमिटेड के दिए गए मामले में, इसकी वितीय संपितयां हैं = ₹55.90 + ₹344.47= ₹400.37 करोड

कुल संपति (अमूर्त संपति से घटाई गई) = ₹527 करोड़ वितीय आस्तियों से आय = ₹52 करोड़ सकल आय = ₹102.57 करोड़

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि एबीसी लिमिटेड की वितीय संपत्ति कुल संपति (अमूर्त संपत्ति द्वारा शुद्ध) की 50 प्रतिशत से अधिक है और वितीय संपत्ति से आय सकल आय का 50 प्रतिशत से अधिक है। इसलिए, एबीसी लिमिटेड एनबीएफसी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए इन दोनों मानदंडों को पूरा करता है।

इस प्रकार एबीसी लिमिटेड आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

प्रश्न 5

- (क) पीक्यू लिमिटेड की लेखा परीक्षा के दौरान, श्री अग्रवाल, लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाहरी पुष्टि प्रक्रिया करना चाहते हैं। श्री अग्रवाल का उन कारकों को सूचीबद्ध करने में मार्गदर्शन करें, जो यह निर्धारित करने में उनकी सहायता कर सकते हैं कि बाहरी पुष्टि प्रक्रियाओं को वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के रूप में किया जाना है या नहीं। (5 अंक)
- (ख) एक दवा कंपनी लॉन्ग एज फाउंडेशन लिमिटेड (एलएएफ), ने कुछ अस्पतालों से डेटा एकत्र किया और उनके विशेषज्ञों ने बुजुर्ग लोगों की चिकित्सा जरूरतों को समझने की कोशिश की। पूर्ण अध्ययन के बाद, उनके विशेषज्ञों ने एक एप्लिकेशन विकसित किया जहां यदि ग्राहक इस एप्लिकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करते हैं, तो एलएएफ ग्राहकों से मामूली राशि लेने के बाद उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगा। सीए पी ने अपनी लेखा परीक्षा में डेटा एनालिटिक्स पद्धित का इस्तेमाल किया है जिसे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट तकनीक के

रूप में भी जाना जाता है।

सीएएटी के उपयोग से लाभ प्राप्त करने के लिए सुझाए गए दृष्टिकोण का उदाहरण दें। (5 अंक)

(ग) सीए एम को लाइफ सिक्योर इंश्योरेंस लिमिटेड के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने देखा कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वितीय वर्ष के आखिरी महीने में कंपनी द्वारा कुछ बीमा पॉलिसियां बेची गई हैं। कंपनी के आय विवरण में आय को पहचानते समय प्रबंधन द्वारा प्रबंधित जोखिम पैटर्न की तर्कसंगतता का आकलन करना सीए एम की जिम्मेदारी है। साथ ही, उसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि वित वर्ष 2020-21 के बंद होने से पहले जोखिम स्थापित नहीं होने पर लाइफ सिक्योर इंश्योरेंस लिमिटेड को पॉलिसी जारी नहीं करनी चाहिए।

उन परिस्थितियों को इंगित करें जब कंपनी को पॉलिसी दस्तावेज जारी नहीं करने चाहिए। **(4 अंक)**

उत्तर

- (क) वे कारक जो लेखा परीक्षक श्री अग्रवाल को यह निर्धारित करने में सहायता कर सकते हैं कि बाहरी पुष्टि प्रक्रियाओं को वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के रूप में किया जाना है या नहीं:
- (i) पुष्टि करने वाले पक्ष को विषय वस्तु का ज्ञान- प्रतिक्रियाएँ अधिक विश्वसनीय हो सकती हैं यदि उन्हें पुष्टि करने वाले पक्ष में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है जिसे जानकारी की पुष्टि के बारे में जरूरी ज्ञान है।
- (ii) अपेक्षित पुष्टि करने वाले पक्ष की प्रतिक्रिया देने की क्षमता या इच्छा उदाहरण के लिए, पुष्टि करने वाला पक्ष:
 - एक पुष्टिकरण अनुरोध का जवाब देने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता;
 - बह्त महंगी या समय लेने वाली प्रतिक्रिया देने पर विचार कर सकता है;
 - जवाब देने के परिणामस्वरूप संभावित कान्नी दायित्व के बारे में उसे चिंता हो सकती है;
 - विभिन्न म्द्राओं में लेन-देन के लिए उसके पास खाता हो सकता है; या
 - ऐसे वातावरण में काम कर सकता है जहां पुष्टिकरण अनुरोधों का जवाब देना दिन-प्रतिदिन के कार्यों का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है।

ऐसी स्थितियों में, पुष्टि करने वाले पक्ष प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, आकस्मिक तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं या प्रतिक्रिया पर निर्भरता को सीमित करने का प्रयास कर सकते हैं। (iii) इच्छित पुष्टि करने वाले पक्ष की निष्पक्षता- यदि पुष्टि करने वाला पक्ष इकाई का संबंधित पक्ष है, तो पुष्टिकरण अन्रोधों की प्रतिक्रिया कम विश्वसनीय हो सकती हैं।

(ख) किसी ऑडिट में उपयोग की जाने वाली डेटा एनालिटिक्स विधियों को कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग तकनीक या सीएएटी के रूप में जाना जाता है। सीएएटी और किसी भी सहायक उपकरण के साथ सफलता प्राप्त करने के लिए कई चरणों का पालन किया जाना चाहिए। सीएएटी के उपयोग से लाभ उठाने के लिए स्झाया गया तरीका नीचे दिया गया है:

- आईटी सहित कारोबारी माहौल को समझना
- उददेश्यों और मानदंडों को परिभाषित करना
- डेटा के स्रोत और प्रारूप की पहचान करना
- डेटा निकालना
- निकाले गए डेटा की पूर्णता और सटीकता की पृष्टि करना
- प्राप्त आंकड़ों पर मानदंड लागू करना।
- परिणामों की वैधता जांचना और पुष्टि करना।
- रिपोर्ट और दस्तावेज़ परिणाम एवं निष्कर्ष (एसए 230)
- (ग) लाइफ सिक्योर इंश्योरेंस लिमिटेड के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त सीए एम को यह स्निश्चित करना चाहिए कि पॉलिसी दस्तावेज जारी नहीं किए गए हैं, यदि:
- (i) प्रीमियम बिल्कुल भी एकत्र नहीं किया गया था;
- (ii) प्रीमियम जमा कर लिया गया था लेकिन संबंधित चेक अनादिरत हो गए हैं; (चेक डिसऑनर्ड बुक देखें);
- (iii) बैंक गारंटी या नकद जमा प्रस्तुत करने के कारण प्रीमियम तुरंत एकत्र नहीं किया गया था, लेकिन या तो जमा या गारंटी कम हो गई थी या समाप्त हो गई थी या प्रीमियम निर्धारित समय सीमा से अधिक एकत्र किया गया था (यानी, बीमित व्यक्ति के बैंक गारंटी खाता या नकद जमा खाता में कमी है);
- (iv) जोखिम कवर में वृद्धि के कारण प्रीमियम एकत्र नहीं किया गया था या जहां खुली घोषणा नीतियों के संबंध में निर्धारित सीमाएं समाप्त हो गई हैं (अर्थात, जहां प्रीमियम अर्जित किया गया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है); और
- (v) कुछ श्रेणियों की पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम की किश्तें समय पर एकत्र नहीं की गई हैं, उदाहरण के लिए, समुद्री-सह-निर्माण पॉलिसियां जहां किश्तों में भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम के लिए सुविधा प्रदान की गई है (ऐसी सुविधा कुछ शर्तों के अधीन सामान्य रूप से उपलब्ध है, उदाहरण के लिए, पहली समान किश्त किश्तों द्वारा देय कुल प्रीमियम के 5 प्रतिशत से अधिक है)।
 - (vi) प्रीमियम एकत्र किया गया लेकिन लंबी अवधि के लिए पॉलिसी जारी नहीं की गई।
 - (vii) क्या वर्ष के दौरान प्राप्त प्रीमियम अगले वर्ष में शुरू होने वाले जोखिम से संबंधित है, तो इसे 'अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम' शीर्षक के तहत शामिल किया गया है और इसका अलग से ख्लासा किया गया है

प्रश्न 6

(क) सीए प्रदीप को 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वितीय विवरणों की लेखा परीक्षा करने के लिए एक सूचीबद्ध कंपनी डिलीशियस फूड्स लिमिटेड (डीएफएल) का ऑडिटर नियुक्त किया गया है। डीएफएल की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹5.97 करोड़ है। निदेशक के पारिश्रमिक की लेखा परीक्षा करते हुए सीए प्रदीप ने देखा कि श्रीनिवास गृप्ता को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया

गया है। श्रीनिवास गुप्ता के पास डीएफएल में ₹8,95,500 के शेयर हैं और उनकी पत्नी के पास उसी कंपनी में ₹2,98,500 के शेयर हैं।

सीए प्रदीप ने स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति पर आपति जताई, लेकिन अन्य निदेशकों ने समझाया कि श्री श्रीनिवास के पास शेयरों की होल्डिंग निर्धारित सीमा से कम है, इसलिए वह स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के योग्य हैं।

सीए प्रदीप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे और वह इस मुद्दे की रिपोर्ट कैसे करेंगे? (5 अंक)

- (ख) सीए नितेश ने पीक्यूआर लिमिटेड का टैक्स ऑडिट करते हुए देखा कि पीक्यूआर लिमिटेड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285बीए के तहत निर्दिष्ट वितीय लेन-देन में प्रवेश किया है। पीक्यूआर लिमिटेड ने फॉर्म नंबर 61 और फॉर्म संख्या 61ए में निर्दिष्ट वितीय लेन-देन का विवरण प्रस्तुत किया है।
 - फॉर्म 3सीडी के क्लॉज 42 के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के साथ सीए नितेश का मार्गदर्शन करें?
 - प्रबंधन का तर्क है कि यदि लेन-देन धारा 269ST के दायरे में नहीं आते हैं, तो टैक्स ऑडिटर को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। टिप्पणी करें। (5 अंक)
- (ग) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और उसकी अनुसूचियों के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए:
 एक प्रैक्टिसरत चार्टर्ड एकाउंटेंट, सीए डी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 01-01-2020 को
 एक सिम्पलीसिटर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 18 महीने की सेवा देने के बाद,
 श्री डी ने निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 01-10-2021 से कंपनी के सांविधिक
 लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार किया।

क्या सीए डी के लिए लेखा परीक्षा कार्य को स्वीकार करना सही है?

(4 अंक)

अथवा

सीए मनोज को मेसर्स यूवी एसोसिएट्स का पीयर समीक्षक नियुक्त किया गया है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जिसमें 18 पार्टनर शामिल हैं। एक अभ्यास इकाई के रूप में बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने पर प्रश्नावली, विवरण और ऐसे अन्य विवरण प्रस्तुत करने के अलावा मेसर्स यूवी एसोसिएट्स द्वारा किन दायित्वों का पालन किया जाना जरूरी है? (4 अंक)

उत्तर

(क) सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में सत्यापन के संबंध में एलओडीआर (LODR) विनियम 17: एक स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक को सूचीबद्ध इकाई का पर्याप्त शेयरधारक नहीं होना चाहिए और 'पर्याप्त शेयरधारक नहीं' का निर्धारण करना चाहिए; वह (अपने रिश्तेदारों के साथ) सूचीबद्ध इकाई की कुल मतदान शक्ति का 2% या अधिक का मालिक नहीं होना चाहिए।

डिलीशियस फूड्स लिमिटेड (डीएफएल) के दिए गए मामले में, श्री श्रीनिवास गुप्ता अपनी पत्नी के साथ डीएफएल, लिस्टेड कंपनी के पर्याप्त शेयरधारक हैं, क्योंकि डीएफएल में उनकी हिस्सेदारी डीएफएल की कुल वोटिंग पावर का 2% है, जिसकी गणना निम्नानुसार की गई है:

श्रीनिवास गुप्ता की डीएफएल में हिस्सेदारी = ₹8,95,500 उनकी पत्नी की डीएफएल में हिस्सेदारी = ₹2,98,500 श्रीनिवास गुप्ता और उनकी पत्नी की संयुक्त होल्डिंग = ₹11,94,000 डीएफएल की कुल मतदान शक्ति = ₹597,00,000 प्रतिशत गणना = 11,94,000 x100/59700000

= 2%

इसिलए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति पर सीए प्रदीप द्वारा उठाई गई आपित वैध है और श्रीनिवास कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के पात्र नहीं हैं। इस मामले में सीए प्रदीप को श्री श्रीनिवास के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की अयोग्यता के बारे में अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए। उसे अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अयोग्य निदेशक का नाम, अयोग्यता की तिथि और अयोग्यता के कारणों का

(ख) जहां टैक्स ऑडिटर को यह रिपोर्ट करना है कि क्या करदाता को निर्दिष्ट वितीय लेन-देन (फॉर्म नंबर 61 या फॉर्म नंबर 61 ए या फॉर्म नंबर 61 बी में) का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो उस स्थिति के लिए क्लॉज 42 को पेश किया गया है।

फॉर्म 61 के संबंध में, टैक्स ऑडिटर को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या करदाता ने ऐसे किसी भी लेन-देन में प्रवेश किया है जहां दूसरे पक्ष को पैन उद्धृत करने की आवश्यकता थी। उसे सत्यापित करना चाहिए कि क्या करदाता ने फॉर्म संख्या 60 में घोषणा प्राप्त की है जहां दूसरे पक्ष ने अपना पैन प्रस्तुत नहीं किया है। जहां कहीं भी करदाता को फॉर्म संख्या 60 में घोषणाएं प्राप्त हुई हैं, ऑडिटर को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या करदाता ने फॉर्म नंबर 61 दाखिल किया है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं।

फॉर्म 61A के संबंध में, टैक्स ऑडिटर को यह पता लगाना चाहिए कि क्या करदाता को नियम 114E के साथ पठित धारा 285BA के तहत किसी भी लेन-देन की रिपोर्ट करना आवश्यक है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 285BA के तहत निर्दिष्ट लेन-देन में बांड जारी करना, शेयर जारी करना, एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा शेयरों की खरीद-वापसी आदि शामिल हैं। ये लेन-देन हर साल नहीं हो सकते हैं और इसलिए उस वर्ष में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जब एक कंपनी करदाता कोई सुरक्षा जारी करता है या एक सूचीबद्ध कंपनी शेयरों की वापस खरीद करती है।

इसका सत्यापन करते समय, कर लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियम 114ई(3) के प्रावधानों पर उचित रूप से विचार किया गया है और लागू किया गया है।

ऐसा करने में विफल रहने पर किसी निश्चित लेन-देन की रिपोर्ट नहीं भी दी जा सकती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि भुगतान विभिन्न लेन-देन के लिए और विभिन्न तिथियों पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसलिए इन्हें धारा 269ST के तहत कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन धारा 285BA के तहत रिपोर्ट करना होगा।

उल्लेख करना चाहिए।

(पेपर - 3: उन्नत लेखा परीक्षा और व्यावसायिक नैतिकता)

उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते ह्ए, प्रबंधन का यह तर्क कि टैक्स ऑडिटर को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, गलत है और इसलिए टैक्स ऑडिटर को धारा 285BA के तहत रिपोर्ट करना होगा।

उसे फॉर्म 3सीडी के क्लॉज 42 के तहत निम्नान्सार रिपोर्ट करना होगा:

क्रम	आयकर	फॉर्म	प्रस्तुत		प्रस्तुत	त क	रने	क्या	फॉर्म	में	उन	यदि	नर्ह	ों, तो
सं.	विभाग	का	करने व	की	की	ਰਿੰ	थि,	सभी	विव	रणों/	लेन-	कृपय	Г	उन
	रिपोर्टिंग	प्रकार	नियत		यदि	की व	गई	देनों	के	बारे	में	विवर	णों/ले	नेन-
	इकाई पहचान		तिथि		हो			जानक	गरी है	जि	नकी	देनों	की	सूची
	संख्या							रिपोर्ट	क	रने	की	प्रस्तुत	Ŧ	करें
								आवश्यकता है		जिन	नि	रिपोर्ट		
												नहीं व	की व	गई है

(ग) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अन्सूची के भाग । के खंड (4) के अनुसार, एक प्रैक्टिसरत चार्टर्ड एकाउंटेंट को पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाता है यदि वह किसी ऐसे व्यवसाय या उदयम के वितीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करता है जिसमें वह, उसकी फर्म, या उसकी फर्म में किसी भागीदार का पर्याप्त हित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 विशेष रूप से किसी सदस्य को उस कंपनी के खातों का ऑडिट करने से रोकती है जिसमें वह एक अधिकारी या कर्मचारी है। यद्यपि पूर्वीक्त धारा के प्रावधान अन्य विधियों के तहत किए गए ऑडिट के संदर्भ में विशेष रूप से लागू नहीं होते हैं, जैसे कि टैक्स ऑडिट, फिर भी मन की स्वतंत्रता का अंतर्निहित सिद्धांत उन स्थितियों में भी समान रूप से लागू होता है। इसलिए, निम्नलिखित स्थितियों में परिषद के विचारों को स्पष्ट किया जाता है।

परिषद द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अन्सार, एक सदस्य निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के प्रा होने या उक्त कंपनी के निदेशक के रूप में इस्तीफा देने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए उस कंपनी के ऑडिट कार्य को स्वीकार नहीं करेगा।

वर्तमान मामले में, एक प्रैक्टिसिंग सीए, श्री डी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर सिम्पलीसिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री डी ने निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के 18 महीने के बाद कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक की स्थिति को स्वीकार कर लिया। उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए श्री डी कंपनी के निदेशक पद को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उनके इस्तीफा को अभी तक दो साल पूरा नहीं हुआ है।

इस प्रकार, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अन्सूची के भाग 1 के खंड 4 के तहत सीए, डी को पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा।

अथवा

(ग) मेसर्स युवी एसोसिएट्स-प्रैक्टिस युनिट, निर्धारित जानकारी के अलावा, प्रश्नावली, बयानों और ऐसे अन्य विवरणों सहित, जो बोर्ड उचित समझे, निम्नलिखित का पालन करेगा:

- (i) समीक्षक को प्रस्तुत करेगा या प्रैक्टिस यूनिट या किसी अन्य रिकॉर्ड या दस्तावेज़ द्वारा बनाए गए किसी भी रिकॉर्ड, दस्तावेज़ या निर्धारित रजिस्टर तक उसकी पहुंच की अनुमति देगा, जो इस प्रकार निर्दिष्ट वर्ग या विवरण का है, और जो प्रैक्टिस यूनिट के कब्जे में या नियंत्रण में है।
- (ii) समीक्षक को उपरोक्त उप खंड (1) के तहत किसी आवश्यकता के अनुपालन में उत्पादित किसी भी चीज़ के संबंध में ऐसा स्पष्टीकरण या अतिरिक्त विवरण/जानकारी प्रदान करेगा, जिसके बारे में समीक्षक निर्दिष्ट करेगा।
- (iii) समीक्षक को पीयर रिव्यू के संबंध में सभी सहायता प्रदान करेगा।
- (iv) जहां किसी प्रैक्टिस यूनिट से संबंधित कोई भी जानकारी या मामला सुपाठ्य रूप से अन्यथा रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो प्रैक्टिस यूनिट समीक्षक को ऐसी किसी भी जानकारी या पाठ, या उसके प्रासंगिक हिस्से को एक सुपाठ्य रूप में फिर से उपलब्ध कराएगी और यदि पाठ किसी अन्य भाषा में है, तो अंग्रेजी या हिंदी में अनुवाद के साथ प्रस्तुत करेगी, यदि इस तरह के अनुवाद के लिए समीक्षक द्वारा अनुरोध किया गया है। इस प्रकार प्रदान किए गए अनुवाद की सटीकता और सत्यता के लिए प्रैक्टिस यूनिट जिम्मेदार और जवाबदेह होगी।